श्री विजय किरन आनन्द, जिलाधिकारी, उन्नाव की अध्यक्षता में दि0 06.03.2014 को कलेक्ट्रेट, उन्नाव के पन्नालाल सभागार में सम्पन्न हुई माह फरवरी, 2014 की राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1. श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि/रा0), उन्नाव।
2. श्री आनन्द स्वरूप, नगर मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
3. श्री सरजू प्रसाद शुक्ल, उपजिलाधिकारी, सदर उन्नाव।
4. सुश्री शेरी, उपजिलाधिकारी, हसनगंज।
5. श्री हरिलाल यादव, उपजिलाधिकारी, पुरवा।
6. श्री विजय शंकर दुबे, उपजिलाधिकारी, बीघापुर।
7. सुश्री प्रवीणा, उपजिलाधिकारी, सफीपुर।
8. श्री उमेश गिरी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उन्नाव।
9. श्री मंसूर अहमद, तसहीलदार, सदर उन्नाव।
10. श्री ए0के0 गुप्ता, तहसीलदार, सफीपुर।
11. श्री प्रमोद झॉ, तहसीलदार, हसनगंज।
12. श्री राजेश कुमार, तहसीलदार, पुरवा।
13. श्री सुशील कुमार सचान, मुख्य खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी, उन्नाव।
14. श्री इन्द्रजीत रावत, प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट उन्नाव।

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गये–

राजस्व वाद–

जनपद में माह फरवरी, 2014 के अन्त में 10464 वादो के सापेक्ष 2613 वादो का निस्तारण किया गया है, 7851 वाद निस्तारण हेतु अवशेष हैं जिनमें 1563 वाद एक वर्ष से अधिक पुराने हैं, जिनमे पिछले माह के एक वर्ष पुराने वाद 1233 है। विवरण पत्र मे दायरा व मानक के सापेक्ष प्रगामी वाद की संख्या व प्रतिशत का विवरण नही दिया गया है। सामान्य लिपिक को निर्देशित किया गया कि विवरण पत्र मे दायरा व मानक के सापेक्ष प्रगामी निस्तारित वादो की संख्या का उल्लेख करते हुये प्रतिशत का विवरण पत्र भी प्रस्तुत किया करे। वादो के निस्तारण की स्थिति निराशाजनक है। उपजिलाधिकारी, सदर, व तहसीलदार, पुरवा द्वारा दायरा के सापेक्ष माह में निस्तारण कम किया गया है। मार्च मे सुधार का अन्तिम अवसर दिया जाता है। मार्च तक मानक व दायरा के सापेक्ष शत प्रतिशत क्रमिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाये अन्यथा कार्यवाही की जायेगी। मार्च के अन्त मे इस आशय का प्रमाण पत्र भी सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाये। सभी तहसीलदार धारा–34 व धारा–122 बी के वादो को 02 माह के अन्दर निस्तारित करे।

स्टाम्प वाद

स्टाम्प वादों मे लम्बित 79 वादो के सापेक्ष मात्र 07 वादो का निस्तारण किया गया है। सहायक आयुक्त स्टाम्प की तैनाती हो गयी है। सहायक स्टाम्प आयुक्त लम्बित समस्त वादो का शीघ्रता से निस्तारण सुनिश्चित करायें।

198–क(2) के अन्तर्गत कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही

इस मद में माह में मात्र 02 वादो का निस्तारण किया गया है। लम्बित 69 वादो का शीघ्रता से निस्तारण किया जाये। 31 मार्च 2014 के बाद 02 माह से अधिक के वाद लम्बित नही रहने चाहिए।

122–बी के अन्तर्गत कार्यवाही

इस अधिनियम के अन्तर्गत माह मे 225 वादो का निस्तारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत 16.6800 हे0 भूमि आच्छादित है। निस्तारण कम है, दायरा भी कम है, मुकदमे भी दर्ज नही हो रहे है, दायरा व निस्तारण बढाया जाये।

33 ए के अन्तर्गत अविवादित वरासत

इस अधिनियम के अन्तर्गत 13554 मामले दर्ज होने योग्य पाये गये जिनमें समस्त 13554 वरासत दर्ज कर 13554 खतौनी वितरित की गयी है।

आवंटन–

कृषि भूमि आवंटन, आवास स्थल आवंटन, कुम्हारी कला आवंटन, वृक्षारोपण आवंटन में सभी के द्वारा लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। मत्स्य पालन में सफीपुर को छोडकर सभी द्वारा लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। उपजिलाधिकारी सफीपुर को निर्देशित किया गया कि स्वंय संवाद कर व समूह गठन कर पट्टा आवंटन की कार्यवाही करते हुये निर्धारित लक्ष्य पूर्ण कराये।

चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि से हटाये गये अतिक्रमण–

चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर पाये गये 1077 क्षेत्रफल 81.379 हे0 के सापेक्ष 1077 क्षेत्रफल 81.379 हे0 का अतिक्रमण हटाया गया है। यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी पट्टेदार आवंटित भूमि पर कब्जा दिये जाने से वंचित न रहे।

115 सी के अन्तर्गत हर्जाना वसूली/आवंटन–

इसके अन्तर्गत 557 प्रकरणो में 907549/– के विपरीत कुल 122 प्रकरणो का निस्तारण कर 187932/–की वसूली की गयी है, जो संतोषजनक नही है। अवशेष 475 मामलो मे निहित 719617/–की धनराशि मार्च माह मे शत प्रतिशत वसूली कराकर अवगत कराया जाये।

वसूली–

मुख्य देय की वसूली के अन्तर्गत भू–राजस्व में सभी के द्वारा शत प्रतिशत वसूली की गयी है। सिचांई देय में तहसील हसनगंज में 20.22 लाख की बकाया पडी हुयी है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार/उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि समीक्षा कर इस बकाया को शून्य किया जाये।

विविध देय में तहसील उन्नाव में 96, पुरवा में 90, बीघापुर 92, सफीपुर 93, हसनगंज 88 प्रतिशत की वसूली की गयी हैं। गत बैठक मे निर्देश दिये गये थे कि बैंक देय के अलावा अन्य सभी विविध देयों की बकाया वसूली कराकर बकाया शून्य किया जाये। लेकिन अब भी इन देयो की बकाया पड़ी हुयी है। कडे निर्देश दिये जाते है कि चकबन्दी देय तहसील सफीपुर में रू0 4759/– अवशेष है, जिसे वसूल कर बकाया शून्य करे। व्यापार कर, परिवहन, अन्य देय, विद्युत देय, अन्य निगम, स्टाम्प देय, रायल्टी देय, श्रम देय, बालश्रम में अवशेष बकाया वसूल कर मार्च 2014 तक बकाया शून्य किया जाये। मार्च 2014 के पश्चात यदि किसी तहसील मे इन देयो की बकाया अवशेष रहती है तो वार्षिक प्रविष्टि मे इसका उल्लेख करते हुये तद्नुसार प्रविष्टि अंकित की जायेगी। मुख्य राजस्व आंकिक को निर्देशित किया गया कि इन्टरनेट पर जो मांग दिखायी जा रही है उससे मिलान कर सही व वास्तविक मांग विवरण पत्र मे अंकित किया जाये।

विविध देय के दस सबसे बडे बाकीदारों का विवरण–

विविध देय के बडे बाकीदारों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही नही की जा रही है। सभी उपजिलाधिकारी समीक्षा कर बडे बाकीदारों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुये वास्तविक एवं सही सूचना उपलब्ध करायें।

मा0 मुख्यमन्त्री सन्दर्भ/लोकवाणी/जनशिकायत/लम्बित सन्दर्भ/तहसील दिवस–

मा0 मुख्यमंत्री सन्दर्भ, लोकवाणी, जनता दर्शन व तहसील दिवस के सन्दर्भ किसी भी स्थिति में लम्बित नही रहना चाहिए, अवशेष शून्य होना चाहिए। तहसील दिवस के कुल 205 प्रकरण माह के अन्त मे लम्बित है, जिनमे 20 प्रकरण एक माह से अधिक पुराने है। यह स्थिति आपत्तिजनक है। तहसील दिवस का कोई भी प्रकरण निर्धारित समयावधि के पश्चात लम्बित नही रहना चाहिये। जिन विभागो/अधिकारियों की शिकायते लम्बित है उन्हे अलग से कडा पत्र प्रेषित कर एवं उनसे वार्ता कर निस्तारण कराया जाये तथा अवशेष शून्य किया जाये।

रिट याचिकाये–

तहसील उन्नाव में 03 संग्रह अनुभाग, पुरवा में 02 संग्रह अनुभाग, सफीपुर में 01 ग्रामसभा, हसनगंज में 05 संग्रह अनुभाग व 05 ग्रामसभा से सम्बन्धित कुल 16 रिट याचिकाओ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अवशेष है। इन सभी रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराकर अवगत कराया जाये।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन–

नई नीति के अन्तर्गत आन लाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाये। इस नीति का व्यापक प्रचार–प्रसार, प्रेस विज्ञप्ति, व्यापार मण्डल के पदाधिकारियो को पत्र भेजकर तथा नगरीय क्षेत्रों में व सभी तहसीलो में बैनर लगवाकर किया जाये। होली का पर्व समीप है। प्रवर्तन कार्य प्रभावी ढंग से किया जाये तथा प्रवर्तन कार्य की प्रगति से अवगत भी कराया जाये।

विभागीय कार्यवाही–

भूलेख अधिष्ठान के अन्तर्गत तहसील पुरवा में श्री राजेन्द्र प्रसाद, लेखपाल, श्री रामप्यारे, लेखपाल, तहसील सफीपुर में श्री रामआसरे, लेखपाल, तहसील बीघापुर मे श्री रमेशचन्द्र लेखपाल व श्री वेदप्रकाश लेखपाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित है। संग्रह अधिष्ठान के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार, संग्रह अमीन तहसील हसगनंज व श्री राम विलाश, संग्रह अमीन तहसील सफीपुर की विभागीय कार्यवाही लम्बित है। सभी विभागीय कार्यवाही मार्च 2014 के अन्त तक निस्तारित कर विवरण शून्य किया जाये।

आडिट आपत्तियॉ–

काफी संख्या मे ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने व वेतन निर्धारण की आडिट आपत्तियॉ लम्बित है। समस्त उपजिलाधिकारियो/तहसीलदारो को निर्देशित किया गया कि इन आपत्तियों से सम्बन्धित समस्त प्रकरणो की सम्वीक्षा कर अनुपालन आख्या तैयार कराकर प्रेषित की जाये, जिसका वरिष्ठ कोषाधिकारी, उन्नाव से परीक्षण कराकर तदनुसार अनुपालन आख्या आडिट दल के निरीक्षण के समय प्रस्तुत कर आपत्तियों का निस्तारण कराया जाये तथा जिन मामलो मे वसूली अथवा वेतन कटौती की जानी हो, धनराशि जमाकराकर आपत्तियॉ निस्तारित करायी जाये।

पुनर्ग्रहण से सम्बन्धित लम्बित प्रकरण–

विकास खण्ड हिलौली तहसील पुरवा मे माडल स्कूल/छात्रावास की स्थापना, विकास खण्ड बांगरमऊ तहसील सफीपुर मे आई0टी0आई, विकास खण्ड सफीपुर मे अग्निशमन केन्द्र, विकास खण्ड फतेहपुर–84 व सफीपुर मे उप स्वास्थ्य केन्द्र, विकास खण्ड मियागंज तहसील हसनगंज मे आई0टी0आई0 व टोल प्लाजा, विकास खण्ड सिकन्दरपुर सरोसी मे उपस्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि के पुनर्ग्रहण के प्रकरण लम्बित है। इनमे आवश्यकतानुसार भूमि का चयन कर प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से प्रेषित किये जाये।

सामान्य–

लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014, आदर्श चुनाव आचार संहिता तथा राशन कार्ड सत्यापन व राजस्व वादों के निस्तारण में विशेष रूचि लेकर कार्य को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराया जाये। क्षेत्र का नियमित भ्रमण करते रहे तथा अधिक से अधिक फील्ड मे रहे। उपजिलाधिकारी सभी कार्यो में नेतृत्व लेते हुये कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। सभी तहसीलदार मुख्यालय पर निश्चित रूप से निवास करेंगे तथा बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नही छोडेंगे। सभी अधिकारी मोबाइल चालू रखेंगे। किसी भी स्थिति मे मोबाइल स्विच आफ नही रहना चाहिये।

अन्त में बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी, उन्नाव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।

संख्या– 195 /आ0लि0/समीक्षा बैठक कार्यवृत्त

दिनांक 10 मार्च, 2014

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अनुभाग से सम्बन्धित निर्देशो का अनुपालन कराकर अनुपालन से 07 दिन के अन्दर अवगत कराये।

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उन्नाव।
2. नगर मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
3. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद उन्नाव।
4. उप संचालक, चकबन्दी, उन्नाव।
5. प्रभारी अधिकारी(सं0का0), कलेक्ट्रेट उन्नाव।
6. प्रभारी अधिकारी, लोकवाणी/शिकायत/नजारत/राजस्व अभिलेखागार/रिट, उन्नाव।
7. ए0आर0ओ0/एस0एल0ए0ओ0/एस0ओ0सी0, उन्नाव।
8. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी/औषधि निरीक्षक उन्नाव।
9. सहायक सूचना निदेशक, उन्नाव।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

जिलाधिकारी, उन्नाव।